652

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

विनोद एस. भारद्वाज से पहले, जे.

वाइन और अन्य-याचिकाकर्ता आरएस

बनाम

कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड और अन्य -

रेज़ विचार

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 21878

24 फरवरी, 2023

(ए) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885-धारा 10 (डी)-बिजली अधिनियम, 2003-हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन के पारित होने के कारण भूमि मालिकों को-याचिकाकर्ता निजी भूमि के मालिक होने के नाते-उक्त निजी भूमि पर 400 केवी टेंशन बिजली लाइन का प्रस्ताव-400 केवी हाई टेंशन बिजली लाइन के लिए उक्त निजी भूमि के माध्यम से बिजली के टावर/खंभे लगाए गए और तार लगाए गए-- शुरू की गई भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई कार्यवाही नहीं-लाइन के तारों के नीचे भूमि अभी भी भूमि मालिकों के लिए उपलब्ध है-भूमि मालिकों को मुआवजे का मुद्दा-यह माना गया कि भूमि मालिक इस कमी के लिए मुआवजे के हकदार हैं। उनकी भूमि से पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए भूमि के मूल्य और उपयोग का निर्धारण। अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त पहलू टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 के प्रावधान द्वारा भी समर्थित है, जो शक्ति के प्रयोग के कारणों से उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए इच्छुक सभी व्यक्तियों को पूर्ण मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करता है और इसकी धारा 15 के तहत इस तरह से निर्धारित मुआवजे को बढ़ाने का भी प्रावधान करता है। इस प्रकार, मुआवजे का दावा टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार है और उत्तरदाताओं के तर्कों में कोई बल नहीं है कि भूमि मालिक भूमि को हुए नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं।

(पैरा 31)

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, एस. एस. 10 और 16-भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रयोज्यता-मुआवजे का आकलनः : निजी भूमि पर खड़ी की गई उच्च-तनाव विद्युत लाइन-मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दा-यह माना गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के सिद्धांत इस मामले में उचित मुआवजे का निर्धारण करने के लिए वास्तव में लागू नहीं होंगे, क्योंकि पारेषण लाइन बिछाने के मामले में भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं है।

माना जाता है कि इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से सामने आता है कि एक भूमि मालिक वाइन एंड ओथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड है।

653

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

पारेषण लाइनें खींचने के कारण भूमि के मूल्य में कमी और उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है और यह कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के सिद्धांत मुआवजे के लिए भूमि के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए वास्तव में लागू नहीं होंगे क्योंकि बिजली अधिनियम, 2003 के साथ पठित टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत पारेषण लाइनें बिछाने के मामले में भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं है।

(पैरा 31)

(ग) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 एस. एस. 10 (घ), 16 (3)-1885 के अधिनियम के तहत किसी भी मानदंड और दिशानिर्देशों के अभाव में मुआवजे का निर्धारणः : उच्च तनाव बिजली लाइनों से प्रभावित मालिकों को मुआवजे के निर्धारण के लिए हरियाणा राज्य द्वारा कोई समान दिशा-निर्देश नहीं बनाए गए-मुआवजे का आकलन करने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और मानदंडों के संबंध में विचार किया गया मुद्दा-यह माना गया कि उक्त उद्देश्य के लिए दिशा-निर्देश बिजली मंत्रालय द्वारा प्रसारित किए गए हैं, और कई राज्यों और बिजली ग्रिड निगम द्वारा पहले ही इनका पालन किया जा चुका है। उक्त दिशानिर्देशों को भूमि मालिकों को मुआवजे के निर्धारण के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में अपनाया जा सकता है-तदनुसार मुआवजा दिया जाता है। अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि राज्य सरकार ने टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कोई समान मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। इस प्रकार यह इस पहलू को न्यायालय द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देता है जब ऐसा मामला भूमि मालिकों द्वारा उसके समक्ष उठाया जाता है जो टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 (डी) के तहत मुआवजे के निर्धारण से संतुष्ट नहीं होते हैं। (पैरा 35) ने आगे कहा कि मुआवजे के आकलन के लिए किसी विशेष समान मानदंड को अपनाने से पहले, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह पारेषण लाइनों के लिए मार्ग के अधिकार के संबंध में नुकसान के मुआवजे के भुगतान के लिए किसी भी सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य परिस्थितियों/मापदंडों के अस्तित्व की जांच करे। यह बताना महत्वपूर्ण है कि गुवाहाटी में 9 और 10 अप्रैल, 2015 को आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, देश में पारेषण लाइनें बिछाने के लिए मार्ग के अधिकार से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने और मुआवजे के भुगतान के लिए एक समान पद्धति का सुझाव देने के लिए बिजली मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। बिजली मंत्रालय, 654 की सरकार

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(पैरा 36) इसके अलावा, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 2015 के सम्मेलन का उद्देश्य मुआवजे के मूल्यांकन से संबंधित एक समान दिशानिर्देश निर्धारित करना था और सभी राज्यों को अपने प्रतिनिधि और/या प्रशंसा पत्र भेजने की स्वतंत्रता थी। 16 राज्यों ने मुआवजे के मूल्यांकन पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को इसके बाद 15.10.2015 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। उक्त सिफारिशों को एक प्रेरक दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है जिसका भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में राज्यों द्वारा समान रूप से पालन किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त सिफारिशों का पहले से ही कई अन्य राज्यों द्वारा पालन किया जा रहा है और भारत सरकार टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड को अपनाने की नींव रखती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिन उपरोक्त मापदंडों का पहले से ही पालन किया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं अपनाया जाए। (पैरा 38) ने आगे कहा कि तदनुसार, भूमि मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। भूमि मालिकों को कलेक्टर दर/सर्कल दर के 85 प्रतिशत की दर से मुआवजे का हकदार माना जाता है। टावर आधार क्षेत्र (चार चरणों के भीतर) के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ प्रति एकड़ 1.50 करोड़ रुपये। पारेषण लाइनें बिछाने और उपरोक्त दर पर भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कारण आरओडब्ल्यू गलियारे की चौड़ाई में भूमि मूल्य में कमी के लिए भूमि मालिक भी 15 प्रतिशत की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 1.50 करोड़ रुपये प्रति एकड़। आर. ओ. डब्ल्यू. गलियारे का ह्रास मूल्य समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में भी किया जाएगा और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.10.2015 पर प्रसारित किया जाएगा।

(पैरा 50) नरेश जैन, अधिवक्ता अमित कुमार के साथ, याचिकाकर्ता के लिए सी. आर.-3502-2017; सी. आर.-1280-2020, सी. आर.-3503-2017 और सी. आर.-3830-2017 और प्रतिवादी संख्या 1 सी. डब्ल्यू. पी.-21878-2017, सी. आर.-2873-2021 के लिए, सी. डब्ल्यू. पी.-26406-2017 में प्रतिवादी संख्या 5 के लिए, सी. डब्ल्यू. पी.-28570-2017 में प्रतिवादी No.16 के लिए और सी. डब्ल्यू. पी.-9495-2017 में प्रतिवादी संख्या 4 के लिए। गोविंद गोयल, अधिवक्ता और अमित कश्यप, अधिवक्ता, विनॉड और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड के लिए।

655

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

आर. डी. बावा, सैमुअल गिल के साथ अधिवक्ता, अधिवक्ता और रणधीर बावा, सी. डब्ल्यू. पी.-21878-2017 में प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता। सी. डब्ल्यू. पी.-9495-2017 में उत्तरदाता संख्या 2 और 3 के लिए आर. एस. लोंगिया, अधिवक्ता।

(1) 09 याचिकाओं के एक समूह का निर्णय एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि संबंधित पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल मुद्दा एक ही पारेषण लाइन के मुआवजे से संबंधित है और इसे एक साथ तय किया जा सकता है। चुनौती अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा पारित दिनांकित 28.02.2017 पुरस्कार के लिए है। भूमि मालिकों ने इस आधार पर निर्णय और डिक्री पर हमला किया है कि यह अपर्याप्त है जबकि संचरण लाइसेंसधारी ने सम्मानित राशि को अधिक बताया है। (2) संदर्भ की सुविधा के लिए, 2017 के सी. डब्ल्यू. पी.-21878 से तथ्यों को निकाला जा रहा है जिसका शीर्षक है 'विनोद और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और अन्य'। (3) संक्षेप में, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के पास खेवट संख्या 6 में शामिल कुल 55 कि. मी.-7 कि. मी. भूमि में से 3/5 हिस्से के मालिक हैं, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 मृतक तारा चंद के कानूनी प्रतिनिधि हैं और गांव राय, तहसील और जिला सोनीपत की राजस्व संपदा में स्थित 98 कि. मी.-4 कि. मी. कृषि भूमि के मालिक हैं। उपर्युक्त भूमि का विवरण याचिका के पैराग्राफ नंबर 3 में विधिवत दिया गया है। उपर्युक्त भूमि के दोनों हिस्से राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के आसपास स्थित हैं और राष्ट्रीय 656 के अंतर्गत आते हैं।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

राजधानी क्षेत्र। इस प्रकार यह आरोप लगाया जाता है कि विचाराधीन भूमि का अपनी क्षमता के कारण एक बड़ा बाजार मूल्य है और बिजली के खंभों और 400 केवी उच्च तनाव तारों की स्थापना के कारण उक्त मूल्यांकन में काफी कमी आई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें वर्ष 2011 में याचिकाकर्ताओं की भूमि में बिजली के खंभे लगाने और 400 केवी झर्ली-काबुलपुर-दीपालपुर हाई टेंशन तार लगाने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की पारेषण लाइन बिछाने से 8000 वर्ग किलोमीटर की भूमि प्रभावित हुई है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 से संबंधित यार्ड, जबकि भूमि का माप 6747 वर्ग मीटर है। याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 से संबंधित यार्ड भी प्रभावित हुए। यह अनुमान लगाया गया है कि उक्त भूमि की अपार क्षमता और राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित होने के कारण, भूमि का बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 को फसल क्षति के मुआवजे के रूप में <ID2,573/- और याचिकाकर्ता संख्या 3 से 6 को <ID1,776/- का बहुत कम मुआवजा दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों को एक कानूनी नोटिस दिया गया था और उसके बाद भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16 (3) के तहत एक याचिका को अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था। जिला न्यायाधीश, सोनीपत और Rs.10,000/- प्रति वर्ग गज के मुआवजे का दावा याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित प्रभावित क्षेत्रों के लिए किया गया था। (4) एडिशनल द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार। जिला न्यायाधीश, प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित हुए और लिखित बयान दायर किया जिससे रखरखाव, स्थान स्थिति, कार्रवाई का कारण, भौतिक तथ्यों के दमन आदि के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं। गुण-दोष पर, यह दावा किया गया है कि उत्तरदाता ने केवल स्वीकृत मार्ग मानचित्र के अनुसार टावर स्थापित किए थे, जो सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे। उत्तरदाता प्रत्यर्थी ने कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की थी, बल्कि याचिकाकर्ताओं के खेतों में उक्त मीनारों की स्थापना के बाद भी विचाराधीन भूमि कृषि के लिए पूरी तरह से उपयोग करने योग्य है। यह भी कहा गया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता केवल फसलों के मुआवजे के हकदार हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि बिजली लाइन के टावरों की स्थापना के संबंध में याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे और उस उद्देश्य के लिए, उत्तरदाता ने फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का वितरण किया और याचिकाकर्ताओं द्वारा Rs.98,776/- की राशि भी स्वीकार कर ली गई है। इस बात से इनकार किया गया कि उत्तरदाता ने उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई और इस बात से भी इनकार किया कि भूमि का बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है। अन्य सभी भौतिक कथनों को नकारते हुए, मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

वाइन एंड ऑथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

657

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(6) प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से पहले से दायर लिखित बयान को अपनाया। (7) पक्षों द्वारा उठाई गई संबंधित दलीलों और दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे। जिला न्यायाधीश, सोनीपतः

6. क्या वर्तमान याचिका का कम मूल्यांकन किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने उचित न्यायालय शुल्क नहीं लगाया है? ओपीडी 7. राहत मिलती है। ”

(8) अपना मामला साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने जय राम, पटवारियों से पीडब्लू-1, कुलदिप, क्लर्क से पीडब्लू-2, पवन कुमार से पीडब्लू-3, हवा सिंह, नायब सदर कानूनगो से पीडब्लू-4, दीपक त्यागी से 658 की पूछताछ की।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा करने के अलावा पीडब्लू-5 के रूप में पटवारियों। (9) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा करने के अलावा विकास मलिक, एस. ई. से आर. डब्ल्यू.-1 के रूप में पूछताछ की है। (10) संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, अतिरिक्त न्यायाधीश ने कहा। जिला न्यायाधीश, सोनीपत ने मुद्दे संख्या 1 और 2 के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किएः

“23. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं की भूमि पर मीनार और उच्च तनाव वाले तार लगाए थे और उन्होंने मीनारों के खंभों से ढकी भूमि के लिए या ऐसी भूमि के मूल्य में कमी के लिए कोई एक पैसा भी नहीं दिया है, सिवाय इसके कि मीनार और उच्च तनाव वाले तारों के निर्माण के समय फसलों आदि को कुछ मुआवजा दिया जाए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, जहां किसानों की भूमि का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा मीनार और उच्च तनाव वाले तार लगाने के लिए किया गया था और गरीब किसानों को उचित और उचित मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं की भूमि पर उच्च तनाव वाले तार लगाए गए थे, जिससे याचिकाकर्ताओं की भूमि का मूल्य हमेशा के लिए कम हो जाएगा, जिससे जीवन का अधिकार, जिसकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है, प्रभावित होगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की भूमि पर मीनारों और उच्च तनाव वाले तारों के निर्माण और मीनारों के खंभों के नीचे ढकी भूमि के लिए कोई मुआवजा दिए बिना या भूमि के घटते मूल्य के कारण वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा याचिकाकर्ताओं को दिए गए जीवन के अधिकार का विस्तार व्यापक और दूरगामी है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि जीवन को समाप्त या छीन नहीं लिया जा सकता है और जीवन के उस अधिकार के समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू में आजीविका का अधिकार शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधनों के बिना नहीं रह सकता है। यदि आजीविका के अधिकार को जीवन के संवैधानिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका उसे उसकी आजीविका के साधनों से वंचित करना होगा। इस तरह का अभाव न केवल जीवन की प्रभावी सामग्री और सार्थकता को नकार देगा, बल्कि यह जीवन को असंभव बना देगा। और फिर भी, इस तरह के अभाव को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होना चाहिए, यदि आजीविका के अधिकार को वाइन एंड ऑथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांस्मिशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं माना जाता है।

659

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

((i) सिरदर्द, ((ii) थकान, 660

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

चिदानंद राव और अन्य बनाम कर्नाटक विद्युत बोर्ड और एक अन्य ने आई. एल. आर. 2004 कर 627 में रिपोर्ट किया है यह अभिनिर्धारित किया कि विद्युत बोर्ड ने दूसरी प्रत्यर्थी कंपनी के लाभ के लिए याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि पर उच्च तनाव वाली बिजली की तारें खींची। याचिकाकर्ताओं को भूमि के मूल्य के 10 प्रतिशत पर मुआवजा दिया गया था क्योंकि हवाई अतिक्रमण उचित है।

विनॉड और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय।

661

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीनारों के निर्माण और उच्च तनाव वाले तारों के गुजरने से याचिकाकर्ताओं की भूमि के मूल्य में कमी आ सकती है। मान लीजिए कि किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा याचिकाकर्ताओं की भूमि में मीनार लगाने या तार खींचने के लिए किसी भी मुआवजे का आकलन या भुगतान नहीं किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ताओं की भूमि में उच्च तनाव वाले तारों को खींचने और मीनारों को खड़ा करने के कारण भूमि के मूल्य में कमी आएगी, इसलिए याचिकाकर्ता नुकसान के हकदार हैं। आर्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय के आदेशों पर भरोसा किया जा सकता है। आन्थेराजनम बनाम केरल विद्युत बोर्ड, त्रिवेन्द्रम ने ए. आई. आर. 1996 केरल 309 में और केरल विद्युत बोर्ड बनाम चेरियन वर्गीज और अन्य के मामले में ए. आई. आर. 1989 केरल 198 में रिपोर्ट किया।

662

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

98 कनाल 4 marla.The मापने वाले प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बिजली के खंभों की स्थापना और 400 के. वी. झर्ली-काबुलपुर-दीपापुर उच्च तनाव तार लगाने के संबंध में टावर No.2718 दिनांक 18.11.2011 के माध्यम से प्रतिनियुक्त के पिता को नोटिस जारी किया था और प्रतिनियुक्त के पिता को हुए नुकसान और फसलों के आयाम के मुआवजे के लिए भी दिया गया था। लेकिन प्रत्यर्थी ने भूमि का पूरा विवरण नहीं दिया है, जो बिजली के खंभों को स्थापित करने और बिजली के तारों को स्थापित करने से प्रभावित हुआ है। खंभे और बिजली की लाइनें खड़ी करना, भूमि का माप 6747 वर्ग किलोमीटर है। यार्ड प्रभावित होते हैं। केबल तारों के निर्माण के साथ-साथ poles.That की स्थापना के कारण प्रतिनिधि के पिता की भूमि को विभाजित कर दिया गया है, प्रतिनिधि के पिता की भूमि संभावित है और जिसका बाजार मूल्य रु। 5 करोड़ प्रति एकड़। उत्तरदाताओं ने उस मुआवजे का भुगतान नहीं किया है जिसके लिए प्रतिनिधि के पिता हकदार हैं अर्थात Rs.10,000/- प्रति वर्ग कि. मी.। गज " 30. पीडब्लू-1/जय राम, पटवाड़ी, एल. ए. सी., अंबाला ने आर. टी. आई. No.101 दिनांकित 10.10.2011 के तहत रिपोर्ट Ex.PW-1/बी को पत्र Ex.PW-1/ए. पी. डब्ल्यू.-2/एच. आर. सी. क्लर्क एच. आर. सी. शाखा ने वर्ष 2011-2012 के लिए गांव राय के कलेक्टर दर की प्रति Ex.PW-2/ए. के रूप में साबित की है। इसके अलावा पी. डब्ल्यू.-4/हवा सिंह, स्थानीय आयुक्त ने अपने द्वारा तैयार की गई सीमांकन रिपोर्ट को Ex.P-16 (आठ पृष्ठों वाली) के रूप में साबित किया है। पीडब्लू-5/दीपक त्यागी, पटवारियों ने दस्तावेजों को Ex.PW-5/A से Ex.PW-5/D साबित किया। वास्तव में, आरडब्ल्यू-1 के रूप में उत्तरदाताओं की ओर से एक वरिष्ठ अभियंता विकास मलिक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता को पहले ही फसलों के मुआवजे की राशि मिल चुकी है जब उनके खेतों में मीनार खड़ी की गई थी।

इसके अलावा कहा गया कि उत्तरदाता वी. आई. एन. ओ. डी. और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

663

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

सरकार द्वारा प्रदान किए गए मंजूरी मार्ग मानचित्र के अनुसार केवल मीनारें स्थापित की हैं और उत्तरदाताओं को किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता के खेतों में उक्त मीनारों की स्थापना के बाद भी विचाराधीन भूमि पूरी तरह से उपयोग करने योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता टावर की स्थापना के लिए भूमि का कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खंभों/टावरों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिरह में उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि सामग्री और मशीनों को वाहनों में खेतों के माध्यम से मौके पर ले जाया गया था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि उनका वाहन उन खेतों से गुजरता है जहां खंभे लगाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया था। 31. मुआवजे की राशि क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है। हालाँकि, निस्संदेह एक सूत्र निर्धारित किया गया है, जो बोर्ड और/या संदर्भ न्यायालय को इसे लागू करने में सहायता कर सकता है, लेकिन इस संबंध में कठोर और त्वरित नियम नहीं हो सकता है। मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए एक निश्चित सूत्र हालांकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी या संदर्भ न्यायालय के कार्य को आसान बना सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले की राय में इसे अपनी योग्यता के आधार पर लिया जाना आवश्यक है। न्यायालय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और अधिग्रहित भूमि की क्षमता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं को उचित मुआवजे के अनुदान के बिना उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता है। 32. वर्तमान मामले में, स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की भूमि के बीच में मीनार और पारेषण लाइनें खड़ी की गई थीं और वे शेष भूमि का उपयोग नहीं कर सकते। आर. डब्ल्यू.-1 के बयान के अनुसार, उत्तरदाताओं ने मंजूरी मार्ग योजना के अनुसार टावरों को स्थापित किया है। फिर भी यह स्पष्ट है कि खंभों से ढकी भूमि से खेत की जुताई में असुविधा हो सकती है और भूमि का वह हिस्सा बेकार हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप भूमि के मूल्य में कमी आ सकती है। यहां तक कि उच्च तनाव वाले तार बिछाने से भी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता प्रति एकड़ 1,000/- रुपये के नुकसान/मुआवजे के लिए अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है।

664

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

इसके अलावा, उत्तरदाताओं की ओर से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने मीनारों के खंभों के नीचे ढकी भूमि के संबंध में या भूमि के घटते मूल्य के संबंध में मुआवजे का भुगतान किया था। इसका मतलब यह है कि उत्तरदाताओं ने उन भूमि के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया है जिन पर मीनारें खड़ी की गई हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 और 16 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता टावरों के खंभों के नीचे या भूमि के घटते मूल्य के संबंध में भूमि के लिए न्यायसंगत और उचित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थियों ने भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है, बल्कि याचिकाकर्ता सहित व्यापक जनहित में टावर और उच्च तनाव वाले तार बिछाने के उद्देश्य से भूमि का उपयोग किया है। इस प्रकार, यह मानना तर्कसंगत है कि मीनार के पैरों के नीचे की भूमि (स्थायी रूप से पृथ्वी पर स्थिर) इसके मालिकों द्वारा स्थायी रूप से खो दी गई है। भले ही अधिग्रहण के लिए भूमि के उन टुकड़ों की आवश्यकता नहीं है और स्वामित्व मालिकों के पास रहता है, फिर भी भूमि के उन टुकड़ों के स्वामित्व, आनंद और स्वतंत्र उपयोग की सभी घटनाएं अलग-अलग प्रतिबंधित हो जाती हैं। ऐसे मामलों में इच्छुक व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। 33. याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों Ex.PW1/A से Ex.PW-1/D पर भरोसा रखा है। इन दस्तावेजों को PW-1 जय राम, एसडीओ (सी)-सह-एलएसी, अंबाला के कार्यालय, पटवारियों द्वारा साबित किया जाता है। दस्तावेज़ Ex.PW-1/B के अनुसार बवाना (यूपी) से नागल (पंजाब) तक प्राकृतिक गैस पाइप लाइन परियोजना के लिए भूमि मालिकों को अंबाला के उपायुक्त द्वारा भूमि के औसत बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता ने गांव राय जिले के कलेक्टर दर की प्रमाणित प्रति पर भी भरोसा रखा है। वर्ष के लिए सोनीपत 2011-12 के रूप में Ex.PW-2/A. जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता की भूमि कृषि भूमि है और यह रिकॉर्ड पर साबित नहीं होता है कि विचाराधीन भूमि जी. टी. रोड से सटे और वाणिज्यिक प्रकृति की है। इसके अलावा विद्वान कलेक्टर द्वारा पारित Ex.P-15 भूमि अधिग्रहण पुरस्कार No.16 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार, अन्य गाँवों के साथ गाँव राय में स्थित सभी प्रकार की भूमि का मूल्य Rs.80 लाख प्रति एकड़ के रूप में निर्धारित किया जाता है। इसलिए Ex.PW2/A के अनुसार गाँव राय, जिला की भूमि का कलेक्टर दर। सोनीपत को कृषि भूमि वी. आई. एन. ओ. डी. और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड का प्रति एकड़ Rs.85 लाख माना जाता है।

665

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

यह राशि केवल 66 केवी और उससे अधिक की पारेषण लाइनों के लिए देय होगी, न कि 66 केवी से कम की उप-पारेषण और वितरण लाइनों के लिए। हालाँकि, रिकॉर्ड पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन दिशानिर्देशों को हरियाणा सरकार द्वारा अपनाया गया है, फिर भी कुछ मानक समान मानदंडों को लागू करके उचित और उचित मुआवजे का भुगतान करने के लिए एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 34. आर. डब्ल्यू.-1 विकास मलिक सीनियर इंजीनियरिंग के नेतृत्व में फसल मुआवजे के विवरण और साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को फसलों के संबंध में मुआवजा मिला है। आर. डब्ल्यू.-1/निगम के वरिष्ठ अभियंता विकास मलिक ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी द्वारा फसलों के नुकसान का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसलिए, खड़ी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है क्योंकि आर. डब्ल्यू.-1 की प्रतिपरीक्षा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि फसलों के नुकसान के संबंध में नुकसान का विधिवत भुगतान किया जाता है जो न्यायसंगत और उचित हैं। 35. हरियाणा सरकार के राजपत्र (अतिरिक्त), दिनांक 9 दिसंबर, 2010 के उद्धरण के अनुसार, 8 सितंबर, 2010 के ज्ञापन संख्या पीपीपी/109/भाग-बी के माध्यम से, हरियाणा सरकार, बिजली विभाग, चंडीगढ़ ने बिजली अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 68 के तहत पारेषण लाइनों झज्जर-काबुलपुर (रोहतक) 400 केवी डी/सी को क्वाड मूस कंडक्टर के साथ मंजूरी दी थी। काबुलपुर (रोहतक)-666

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

दीपालपुर (सोनीपत) में अब्दुलपुर-बवाना 400 केवी डी/सी लाइन के एक सर्किट की 400 केवी डी/सी लाइन क्वाड मूस कंडक्टर और लूप-इन-लूप-आउट ("लिलो") के साथ। प्रत्यर्थी संख्या 1 बिजली लाइनों के अंतर-राज्य संचरण बिछाने के लिए लाइसेंसधारी है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार ने पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को लाइसेंस प्रदान किया है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 याचिकाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। 36. यह अदालत अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि याचिकाकर्ता 759 वर्ग कि. मी. की कुल भूमि खसरा No.16//11/1/2 (192 गज) और 17// 15/1/2 (567 गज) के संबंध में टावर आधार क्षेत्र (चार चरणों के बीच) के लिए प्रति वर्ष 8 प्रतिशत ब्याज के साथ कलेक्टर दर की 85 प्रतिशत की दर से टावरों के निर्माण, उच्च तनाव वाले तारों के संचरण और भूमि के मूल्य में कमी के लिए मुआवजे का हकदार है। याचिकाकर्ता से संबंधित गज (गज) जिसमें खंभे लगाए गए थे। तदनुसार, इन दोनों मुद्दों का निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में किया जाता है। ”

(13) वर्तमान याचिकाएं याचिकाकर्ताओं-भूमि मालिकों द्वारा दायर की गई हैं। साथ ही, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और ठेकेदारों द्वारा मुआवजे को अत्यधिक होने का आरोप लगाते हुए सिविल संशोधन याचिकाएं भी दायर की गई हैं और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिए गए मुआवजे को कम करने का अनुरोध किया गया है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत। (14) याचिका में यह कहा गया है कि मुआवजे का आकलन अपर्याप्त है और संपत्ति के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए निचली अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य, विशेष रूप से पड़ोसी गांव के बिक्री विलेखों पर विचार नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि जिला न्यायाधीश मंत्रालय वी. आई. एन. ओ. डी. और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांस्मिशन लिमिटेड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने में विफल रहे हैं।

667

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(15) उत्तर वितरण/पारेषण अनुज्ञप्ति अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दाखिल किए गए हैं, जिसमें ऊपर देखे गए तथ्यात्मक पहलू को विवादित नहीं किया गया है। हालाँकि, यह माना जाता है कि विचाराधीन कार्य पहले से ही विद्युत अधिनियम, 2003 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार निष्पादित है। पारेषण लाइन स्थापित करने के लिए पारेषण उपयोगिता के अधिकार के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न पूर्ववर्ती निर्णयों का संदर्भ दिया गया था। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर प्रतिक्रिया में आगे कहा गया है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा मुआवजे का उचित मूल्यांकन किया गया है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत और यह कि उक्त भूमि का स्वामित्व अभी भी भूमि मालिकों-याचिकाकर्ताओं के पास है और यह कि यह जबरन अधिग्रहण का मामला नहीं है, याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि भूमि पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अधिग्रहित की गई है। इस बात से भी इनकार किया जाता है कि बिजली के खंभे और उच्च तनाव वाले तार बिछाने से भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उच्च तनाव वाले तारों के कारण भूमि की उत्पादकता और उर्वरता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इसके अलावा, उच्च तनाव वाले तारों को उस ऊंचाई पर लगाया जाता है जहां भूमि मालिकों द्वारा किए गए कृषि कार्यों में किसी भी तरह की बाधा नहीं आती है। पारेषण लाइनों के चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी भूमि मालिक की फसल को कभी कोई नुकसान या क्षति नहीं हुई है। (16) उप-कलेक्टर, सोनीपत द्वारा एक अलग लिखित बयान दायर किया गया है, जिसमें पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अपनाए गए रुख को दोहराया गया है। हालाँकि, उक्त प्रतिक्रिया संबंधित क्षेत्र के कलेक्टर दर के संबंध में मौन है, भले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके प्रत्युत्तर में लागू कलेक्टर दर के बारे में एक विशिष्ट याचिका उठाई गई थी।

668

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(18) यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 की संख्या 5 और 2016 की संख्या 6 वाले दो दीवानी मुकदमों का निर्णय दिनांक 1 के दो अलग-अलग फैसलों द्वारा किया गया है और याचिकाकर्ताओं ने एक सामान्य रिट याचिका के माध्यम से उक्त दोनों फैसलों को चुनौती दी है। यह भी कहा गया कि हरियाणा राज्य द्वारा दिनांकित 15.10.2015 दिशानिर्देशों को नहीं अपनाया गया है और इसलिए इन्हें बाध्यकारी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा यह तथ्य कि फसल मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। सोनीपत के सत्र न्यायाधीश टेलीग्राफ अधिनियम की गलत व्याख्या से पीड़ित हैं और यह ध्यान में रखने में विफल रहते हैं कि भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है। (19) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एडिशनल। जिला न्यायाधीश, सोनीपत भूमि के सही मूल्य पर विचार करने में विफल रहे हैं। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आस-पास के क्षेत्र से संबंधित तीन बिक्री विलेखों को परीक्षण न्यायालय के समक्ष पी-9, पी-11 और पी-12 के रूप में रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है (अनुलग्नक पी-7 से पी-9 यहाँ)। बिक्री विलेख (अनुलग्नक पी-9) 3 एकड़ 1 कनाल और 10 मरले के क्षेत्र के लिए था और इसे 09.12.2009 पर निष्पादित किया गया था जो भूमि के बाजार मूल्य को रु। लगभग 2.28 करोड़ प्रति एकड़। चूंकि उच्च तनाव वाले तारों की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी और बिक्री विलेख (अनुलग्नक पी-9) उपरोक्त स्थापना के समय के करीब था। इसलिए, उक्त बिक्री विलेख विचाराधीन भूमि के तत्कालीन मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए वैध आधार बनाता है।

वाइन एंड ऑथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

669

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम 1991 के सी. आर. ओ. 2128 वाले टी. टी. पी. कयू ने यह तर्क देने के लिए 05.01.1996 पर निर्णय लिया कि कृषि भूमि के ह्रास के लिए मुआवजा 670 नहीं हो सकता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(21) मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मामले की फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों/रिकॉर्ड और दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में दिए गए निर्णयों को उनकी सक्षम सहायता के साथ देखा है। (22) मामले में आगे बढ़ने से पहले, कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा जो याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल विवाद पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैंः

XXX XXX XXX भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम, 1885-टेलीग्राफ़ लाइनों और पोस्टों को स्थापित करने का अधिकार

1 लॉ फाइंडर डॉक। आई. डी. #129452 वी. आई. एन. ओ. डी. और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड।

671

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(1) यदि उस धारा के खंड (घ) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में धारा 10 में उल्लिखित शक्तियों के प्रयोग का विरोध किया जाता है या बाधित किया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेक से आदेश दे सकता है कि टेलीग्राफ प्राधिकरण को उनका प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। (2) यदि, उप-धारा (1) के तहत आदेश देने के बाद, कोई व्यक्ति उन शक्तियों के प्रयोग का विरोध करता है, या संपत्ति पर नियंत्रण रखता है, तो वह 672 के लिए सभी सुविधाएं नहीं देता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा विवाद का प्रत्येक निर्धारण अंतिम होगाः बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के उस व्यक्ति से, जिसने उसे प्राप्त किया है, टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए गए किसी मुआवजे के पूरे या किसी हिस्से की वसूली करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। ”

(23) यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए काम शुरू किया है। यह स्पष्ट है कि द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 की धारा 10 (डी) में कहा गया है कि द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के तहत काम को निष्पादित करते समय, प्राधिकरण जितना संभव हो उतना कम नुकसान करेगा और यह कि वह सभी प्रभावित व्यक्तियों को इस तरह के अधिकार के प्रयोग के कारण हुए किसी भी नुकसान के लिए पूरा मुआवजा देगा। यह भी स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट भूमि मालिकों द्वारा किए गए नुकसान के लिए देय मुआवजे का आकलन कर सकते हैं और यह कि यदि ब्याज/प्रभावित व्यक्ति इस तरह से मूल्यांकन किए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16 (3) के तहत उचित कार्यवाही शुरू करना पसंद कर सकते हैं।

673

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

मेसर्स हरिहर बिल्डस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और 2019 की रिट याचिका No.7489 वाले अन्य 2 ने 01.10.2020 पर निर्णय लिया। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः "23. जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं कि याचिकाकर्ता टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 (डी) के तहत किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है, इस याचिका पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता आर. एफ. सी. टी. आर. आर अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे का हकदार है। यह कहना पर्याप्त है कि पूरा टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 भूमि के किसी भी अधिग्रहण पर विचार नहीं करता है। यह धारा 10 (बी) की भाषा से स्पष्ट है जो स्पष्ट रूप से आदेश देती है कि केंद्र सरकार केवल उस संपत्ति में उपयोगकर्ता के अलावा कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं करेगी, जिस पर टेलीग्राफ प्राधिकरण कोई लाइन या पोस्ट रखता है। इस प्रकार, संख्या 2 2021 5, एमएच। एल. जे. 144 674

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 द्वारा भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और इसलिए, आर. एफ. सी. टी. आर. आर. अधिनियम, 2013 के प्रावधान, जो केवल भूमि अधिग्रहण पर लागू होते हैं, स्पष्ट रूप से किसी भी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जैसा कि टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत विचार किया गया है।

(27) इसके अलावा, एल. पी. ए. वाले 'पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बसंत सिंह एंड अदर' के मामले में No.204 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2007 के 21.05.2020 पर निर्णय दिया है कि -

7. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, हम मुआवजे के लिए पक्ष को पहले से दी गई राशि में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। हालांकि, कानून को स्पष्ट करना होगा कि जिला न्यायाधीश भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य के समान मुआवजा नहीं देगा, केवल लाइन खींचने या टावर लगाने से हुई चोट की सीमा तक, मालिक को आनुपातिक रूप से मुआवजा दिया जाएगा। 8. पेटेंट अपील पत्रों का निपटारा कर दिया जाता है। ”

वाइन एंड ऑथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

675

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(28) कुंभा अम्मा बनाम K.S.E.B. 3 के मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले में और अधिक निर्भरता रखी गई है, जिसमें केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मुआवजे की सहायता के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेदों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है -

“43. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा मानना है कि बिजली के तार खींचने के उद्देश्य से पेड़ों के विनाश के लिए मुआवजे की गणना करते समय मुद्रास्फीति एक प्रासंगिक कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमारा यह भी विचार है कि यदि एक स्थिर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर लागू की जाती है, तो मुद्रास्फीति के प्रभाव का स्वतः ही ध्यान रखा जाएगा। इस मामले में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों और इस विषय पर अधिकारियों पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूर्ण पीठ द्वारा 1981 में के. एल. टी. 646 द्वारा वास्तविक ब्याज दर लेने के बजाय रिटर्न की दर पर पहुंचने के लिए एक गलत सिद्धांत लागू किया गया है। उस हद तक, हम 1981 के. एल. टी. 646 को रद्द करते हैं।

44. इसके बाद, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि इस मामले में रिटर्न की दर क्या होनी चाहिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वापसी की दर के संबंध में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि यह 1961 के. एल. टी. 238 में निर्धारित 5 प्रतिशत होना चाहिए, न कि 1981 के. एल. टी. 646 में आदेशित उच्च दर। भले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा ए. आई. आर. 1988 आंध्र प्रदेश 89 पर अपनी इस दलील के समर्थन में भरोसा रखा गया था कि 1981 के. एल. टी. 646 में लागू सिद्धांत सही नहीं था, लेकिन हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया है कि उनके मामले में, ए. आई. आर. 1988 आंध्र प्रदेश 89 में जे. जगन्नाथ राव द्वारा मूल्यांकन की गई वापसी की दर लागू की जानी चाहिए। इस मामले में विवाद तब पैदा हुआ जब याचिकाकर्ताओं की संपत्ति में खड़े पेड़ों को 9.9.1980 पर काट दिया गया। उत्तरदाताओं ने हमारे सामने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई है कि 1980 में ब्याज की वास्तविक दर 5 प्रतिशत से कुछ अलग थी। 1981 के. एल. टी. 646 पर आधारित उनका एकमात्र तर्क यह है कि जो प्रासंगिक है वह ब्याज की प्रचलित दर है जो 10 प्रतिशत थी। इस तर्क को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं, क्योंकि इस तरह की दर मुद्रास्फीति के कारक को ध्यान में नहीं रखती है। इन परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि ब्याज की दर लागू की जाएगी 3,2000 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 131 676

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

1991 के सी. आर. ओ. No.2128 वाले बोर्ड बनाम टी. टी. पी. कयू ने निर्णय लिया 05.01.1996 पर। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"गलत कार्य से होने वाले नुकसान की सीमा, चाहे वह यातना हो या अनुबंध का उल्लंघन, अक्सर गलत व्यक्ति की ओर से अच्छी तरह से सलाह दी गई कार्रवाई से काफी कम की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में कानून उसे प्रतिवादी की गलती के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाने की अपेक्षा करता है और उसे नुकसान के किसी भी हिस्से के संबंध में नुकसान की अनुमति देने से इनकार करता है जो इस तरह के कदम उठाने में उसकी लापरवाही के कारण है। इस प्रकार यह तर्क देने के लिए खुला है कि यदि वह भूमि जिस पर बिजली की तारें खींची जाती हैं, अन्य खेती के लिए उपयुक्त है जो बिजली की तारों से छोड़ी जाने वाली खुली जगह की आवश्यकता के साथ संघर्ष नहीं करेगी और यदि ऐसी खेती को उचित रूप से लाभदायक तरीके से किया जा सकता है, तो दावेदार से ऐसी खेती करने की उम्मीद की जाती है।

यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो यह एक कारक है VINOD और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

677

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

उच्चतम न्यायालय 366. न्यायमूर्ति वांचू (जैसा कि वे उस समय थे) ने उपर्युक्त निर्णय का विशिष्ट संदर्भ दिया है और आगे कहा है कि दोनों सिद्धांत भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 में निर्धारित कानून का पालन करते हैं, जिसे उसके स्पष्टीकरण के साथ भी पढ़ा जाता है। बहुत पहले प्रिवी काउंसिल ने भी जमाल बनाम मूला में यही दृष्टिकोण अपनाया था। दाऊद सन्स एंड कंपनी, 43 ए. आई. 10. एम. लाचिया सेट्टी एंड संस लिमिटेड बनाम द कॉफी बोर्ड, बैंगलोर, 678

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

21. XXX XXX XXX 22. इस मामले में, यह दावेदार ही है जो सबसे अच्छी तरह से जानता है कि उसकी भूमि पर अन्य फसलों के साथ कैसे खेती की जा सकती है जो बिजली की तारों, मीनारों और खंभों से छोड़ी जाने वाली खुली जगह के बारे में प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगी। यह काफी प्रशंसनीय है कि प्रत्येक भूमि मालिक बिजली की तारों के नीचे की भूमि (चाहे वह उच्च तनाव या कम तनाव की हो) का उपयोग खेती करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा, सिवाय इसके कि लंबे पेड़ों को उगाया जाए या ऊँची संरचनाओं का निर्माण किया जाए। इस प्रकार, प्राकृतिक घटनाओं के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि वी. आई. एन. ओ. डी. और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांस्मिशन लिमिटेड।

679

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

प्रभावित भूमि में पूंछ के पेड़ों को उगाने के अलावा उचित रूप से लाभदायक तरीके से कृषि कार्य किया जा सकता है। अतः उक्त अनुमान का खंडन करने का भार दावेदार पर है। 23. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि भूमि के मालिकों के लिए यह खुला है कि वे भूमि के मूल्य में कमी के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं, जब इस निर्णय में विस्तृत शर्तों के अधीन उनकी भूमि पर मीनार और खंभे लगाए जाते हैं और बिजली की तारें खींची जाती हैं। दावेदारों ने नुकसान को कम करने के लिए उचित कदम उठाए थे या नहीं, यह एक सवाल है जिस पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक मामले में साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए और यह ऊपर बताए गए अनुमान और दायित्व के अधीन है। ”

(30) केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा 4 के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आगे संदर्भ दिया गया है। उसी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“ 9. कृषि भूमि और/या तीसरे पक्ष की अन्य संपत्तियों पर तार लाइनें और बिजली की लाइनें दोनों खींचनी आवश्यक हैं। इस तरह की रेखाएँ खींचने में, पूरी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव उस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी जिस पर ऐसी रेखा खींची गई है। टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें मुआवजे की राशि की गणना की जानी है। अधिनियम की धारा 10 प्राधिकरण को किसी भी अचल संपत्ति में या उसके ऊपर, उसके साथ या उसके पार या पोस्ट के नीचे एक टेलीग्राफ लाइन रखने और बनाए रखने का अधिकार देती है। धारा 11 अधिकारियों को टेलीग्राफ लाइनों या चौकियों की मरम्मत या उन्हें हटाने के लिए संपत्ति में प्रवेश करने का अधिकार देती है। धारा 12 प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 10 के परंतुक के खंड (सी) और (डी) के संदर्भ में स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी पंक्तियां निर्धारित करने की अनुमति देने का अधिकार देती है, जो उचित शर्तों के अधीन हो जो वह उचित समझे। उक्त अधिनियम की धारा 16 निम्नानुसार हैः -

“16, धारा 10 और 4 2007 (6) एस. सी. सी. 792 680 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति के टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा भुगतान किए गए किसी भी मुआवजे के पूरे या किसी भी हिस्से को उन व्यक्तियों से वसूल करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिन्होंने इसे प्राप्त किया है। 10. भूमि की स्थिति, उस पर बिछाई गई उच्च वोल्टेज वाली बिजली लाइन के बीच की दूरी, उस पर लाइन का विस्तार और यह भी तथ्य कि क्या उच्च वोल्टेज वाली लाइन भूमि के एक छोटे से ट्रैक पर से गुजरती है या वाइन और अन्य के बीच से गुजरती है।

681

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

भूमि और इसी तरह के अन्य प्रासंगिक कारक और हमारी राय निर्धारक होगी। भूमि का मूल्य भी एक प्रासंगिक कारक होगा। इसके अलावा, भूमि का स्वामी किसी भी स्थिति में उस संपत्ति का उस उद्देश्य के लिए उपयोग करने का अपना मौलिक अधिकार खो सकता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना था। ”

(31) कॉन्ट्रा के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने लिविशा (सुप्रा) के फैसले पर भी भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त निर्णय स्वयं बिजली विभाग के दायित्व को मान्यता देता है कि वह भूमि के मूल्य में कमी के लिए भूमि मालिकों को क्षतिपूर्ति करे, जिस पर उक्त पारेषण लाइनें बिछाई गई हैं। वह आगे प्रस्तुत करता है कि उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए निर्णयों से किसी भी तरह से यह पता नहीं चलता है कि भूमि मालिकों को मुआवजा देय नहीं है। बल्कि, इसके विपरीत, उपरोक्त निर्णयों में विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि टेलीग्राफ प्राधिकरण किसी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। अंतर केवल इतना है कि संपत्ति का ह्रास भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि/संपत्ति के अधिग्रहण के बराबर नहीं है और उक्त अधिनियम के सिद्धांतों को टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के तहत मुआवजा देते समय लागू नहीं किया जा सकता है। वे प्रस्तुत करते हैं कि कुंभ अम्मा (उपरोक्त) के मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय भूमि मालिकों को मुआवजे का अधिकार स्थापित करता है और बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि भूमि मालिकों को दावे को लागू करने में अत्यधिक देरी के कारण उक्त याचिकाओं में उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उक्त निर्णयों को किसी भी तरह से इस बात पर प्रकाश डालने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि भूमि मालिक किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है और इस प्रकार उत्तरदाताओं के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है। (32) इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से सामने आता है कि एक भूमि मालिक पारेषण लाइनों को खींचने के कारण भूमि के मूल्य में कमी और उपयोग के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के सिद्धांत मुआवजे के लिए भूमि का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए वास्तव में लागू नहीं होंगे क्योंकि बिजली अधिनियम, 2003 के साथ पठित टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत पारेषण लाइन बिछाने के मामले में भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं है। उक्त पहलू पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा भी विचार किया गया है और भूमि मालिकों को उनकी भूमि के मूल्य और उपयोग में कमी के लिए मुआवजे का हकदार ठहराया गया है। उक्त पहलू 682

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 के प्रावधान द्वारा भी समर्थित है, जो शक्ति के प्रयोग के कारणों से उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए इच्छुक सभी व्यक्तियों को पूर्ण मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान करता है और इसकी धारा 15 के तहत इस तरह से निर्धारित मुआवजे को बढ़ाने का भी प्रावधान करता है। इस प्रकार, मुआवजे का दावा टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार है और उत्तरदाताओं के तर्कों में कोई बल नहीं है कि भूमि मालिक भूमि को हुए नुकसान के लिए किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं हैं। (33) इसके अलावा, उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16 (3) के तहत याचिकाओं की रखरखाव के संबंध में और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मूल्यांकन किया गया मुआवजा अपर्याप्त पाए जाने की स्थिति में भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे को निर्धारित करने के लिए उक्त न्यायालय का अधिकार/अधिकार। इस प्रकार एकमात्र प्रश्न जो बचा रहता है वह अतिरिक्त द्वारा मुआवजे के निर्धारण और मात्रा के संबंध में है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत और क्या उक्त मुआवजा भूमि के सही और सही बाजार मूल्य और इसके घटते लाभ, मूल्य और उपयोगिता को दर्शाता है। (34) इस प्रकार इस मोड़ पर यह निर्धारित करना आवश्यक है कि भूमि मालिकों को अभाव की प्रकृति का सामना करना पड़ा है। कानून में स्थिति अब विवाद में नहीं है क्योंकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत की गई गतिविधियाँ पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के समान नहीं हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि यदि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विचाराधीन भूमि पर स्वामित्व अधिकार, स्वामित्व या हित भूमि मालिकों के पास निहित रहता है और इस तरह से प्रभावित व्यक्तियों को केवल किसी भी तरह से भूमि के आनंद के अपने अधिकार से वंचित होना पड़ता है क्योंकि वे चाहते हैं कि भूमि टावर आधार और/या लाइनों के संचरण के आरओडब्ल्यू के तहत आए। मुआवजे के लिए भूमि मालिकों की पात्रता के संबंध में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए वैधानिक प्रावधानों और पूर्ववर्ती निर्णयों में भूमि मालिकों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार दिया गया है। (35) यह अब दूसरे सवाल की ओर ले जाता है कि भूमि के मूल्य और उपयोगिता में कमी के कारण भूमि मालिकों को हुए नुकसान और/या उन्हें हुए नुकसान के कारण उन्हें देय मुआवजे के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र क्या होगा।

वाइन एंड ऑथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

683

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(36) पक्षकारों के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि राज्य सरकार ने टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे के मूल्यांकन के लिए कोई समान मानदंड या दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं। इस प्रकार यह इस पहलू को न्यायालय द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ देता है जब ऐसा मामला भूमि मालिकों द्वारा उसके समक्ष उठाया जाता है जो टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 (डी) के तहत मुआवजे के निर्धारण से संतुष्ट नहीं होते हैं। (37) मुआवजे के आकलन के लिए किसी विशेष समान मानदंड को अपनाने से पहले, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह पारेषण लाइनों के लिए मार्ग के अधिकार के संबंध में नुकसान के मुआवजे के भुगतान के लिए किसी भी सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य परिस्थितियों/मापदंडों के अस्तित्व की जांच करे। यह बताना महत्वपूर्ण है कि गुवाहाटी में 9 और 10 अप्रैल, 2015 को आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान, देश में पारेषण लाइन बिछाने के लिए मार्ग के अधिकार से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करने और इस संबंध में मुआवजे के भुगतान के लिए एक समान पद्धति का सुझाव देने के लिए बिजली मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति का गठन किया। उक्त समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। चूंकि बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में मुआवजे के भुगतान के लिए एक समान कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्णय लिया गया था, इसलिए कई राज्य सरकारों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। 16 राज्यों द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए थे। हालाँकि, हरियाणा सरकार ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजने या उस पर कोई टिप्पणी नहीं देने का फैसला किया था। हालांकि, पारेषण लाइनों के लिए मार्ग के अधिकार के संबंध में नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए दिशा-निर्देश बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित किए गए थे। समिति द्वारा की गई सिफारिशें और ज्ञापन No.3/7/2015 प्रसारण दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से प्रसारित, इस प्रकार हैंः

“2. समिति द्वारा की गई सिफारिशें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 और 68 में निर्धारित "नुकसान" के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों के रूप में तैयार की गई हैं, जैसा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 और 16 में पढ़ा गया है, जो सामान्य फसल और पेड़ के नुकसान के मुआवजे के अतिरिक्त होगा। यह राशि केवल 66,684 के टावर आधार द्वारा समर्थित पारेषण लाइनों के लिए देय होगी।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(3) जिन क्षेत्रों में राज्य की हस्तांतरण विकास अधिकार (टी. डी. आर.) नीति के तहत संबंधित निगम/नगर पालिका द्वारा भूमि मालिक/मालिकों को मुआवजे के वैकल्पिक तरीके की पेशकश/स्वीकार किया गया है, वहां लाइसेंसधारी/उपयोगिता उपरोक्त (i) और (ii) के अनुसार मुआवजे की राशि संबंधित निगम/नगर पालिका/स्थानीय निकाय या राज्य सरकार के पास जमा करेगा। (iv) इस उद्देश्य के लिए, आरओडब्ल्यू गलियारे की चौड़ाई अनुलग्नक-2 में तालिका में निर्धारित चौड़ाई से अधिक नहीं होगी और कंडक्टरों के सीधे नीचे की चौड़ाई से कम नहीं होगी। ”

(38) प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया है कि भारतीय पावर ग्रिड निगम ने पहले ही उपरोक्त सिफारिशों/दिशानिर्देशों को अपना लिया है और उपरोक्त दिशानिर्देश 66 केवी और उससे अधिक के पावर बेस द्वारा समर्थित पारेषण लाइनों के संबंध में लागू होते हैं न कि 66 केवी से नीचे की उप-पारेषण लाइनों के लिए। यह भी बताना उचित है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.05.2014 पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आरओडब्ल्यू की चौड़ाई का विवरण भी उपरोक्त समिति द्वारा देखा गया था और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार निकाला गया हैः

“ 1.3 आर. ओ. डब्ल्यू. गलियारे की अधिकतम चौड़ाई टावर डिजाइन, अवधि और हवा की गति, कंडक्टर की अधिकतम शिथिलता और इसके झूलने और विद्युत सुरक्षा की अन्य आवश्यकताओं के आधार पर प्रसारित की जाती है। मानक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के वोल्टेज के लिए आरओडब्ल्यू की आवश्यकता इस प्रकार हैः

वाइन एंड ऑथर्स बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड।

685

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

विभिन्न वोल्टेज लाइन के लिए आरओडब्ल्यू चौड़ाई \*

संचरण वोल्टेज

राइट ऑफ वे की चौड़ाई (मीटर में)

66 केवी

18

110 केवी

22

132 केवी

27

220 केवी

35

400 केवी एस/सी

46

400 केवी डी/सी

46

+/- 500 केवी एचवीडीसी

52

765 डेल्टा विन्यास के साथ केवी एस/सी

64

765 केवी डी/सी

67

+/- 800 केवी एचवीडीसी

69

1200 केवी

89

\*राइट ऑफ वे की चौड़ाई एमओईएफ दिशानिर्देशों दिनांक 05.05.2014 (अनुलग्नक-ए) के अनुसार है। ”

(39) भले ही नया विद्युत अधिनियम वर्ष 2003 में अधिसूचित किया गया था, जबकि टेलीग्राफ अधिनियम 1885 से लागू है। हालांकि, हरियाणा राज्य ने भूमि मालिकों को मुआवजे की गणना में कोई एकरूपता नहीं रखने का फैसला किया है। प्रत्यर्थियों के लिए वकील द्वारा कोई वैध स्पष्टीकरण या कारण नहीं दिया गया है कि उक्त अभ्यास क्यों नहीं किया गया है, विशेष रूप से जब सांविधिक योजना लगभग डेढ़ सदी से लागू है। राज्य अपने नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में अनजान नहीं बना सकता है और उन्हें खुद के लिए या विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मुआवजे का दावा करने के लिए नहीं छोड़ सकता है जो राज्य द्वारा स्वेच्छा से अपनी पहल पर जारी किया जाना चाहिए था। यह प्रतिवादी-राज्य की घोर असंवेदनशीलता और उसकी नौकरशाही के लोगों की जरूरतों और पीड़ाओं के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है कि उन्होंने 686 जमा नहीं करने का फैसला क्यों किया

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

बिजली मंत्रियों के सम्मेलन के तहत गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर उनकी आपत्तियां, यदि कोई हों। किसी भी आपत्ति को प्रस्तुत करने में विफलता दोहरी व्याख्या के अधीन है, जबकि इसका मतलब यह हो सकता है कि राज्य ने इसके लिए सहमति नहीं दी थी और दूसरी ओर, यह भी माना जा सकता है कि राज्य को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 2015 के सम्मेलन का उद्देश्य मुआवजे के मूल्यांकन से संबंधित एक समान दिशानिर्देश निर्धारित करना था और सभी राज्यों को अपने प्रतिनिधि और/या प्रशंसा पत्र भेजने की स्वतंत्रता थी। 16 राज्यों ने मुआवजे के मूल्यांकन पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को इसके बाद 15.10.2015 दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। उक्त सिफारिशों को एक प्रेरक दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है जिसका भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में राज्यों द्वारा समान रूप से पालन किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त सिफारिशों का पहले से ही कई अन्य राज्यों द्वारा पालन किया जा रहा है और भारत सरकार टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 10 के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड को अपनाने की नींव रखती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिन उपरोक्त मापदंडों का पहले से ही पालन किया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं अपनाया जाए। उक्त मानदंड पर आपत्तियां दर्ज करने में राज्य की विफलता से ही पता चलता है कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रतिकूल कुछ भी नहीं था और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। तदनुसार, प्राधिकरणों/न्यायालयों द्वारा मुआवजे के निर्धारण के लिए समिति द्वारा की गई और दिनांकित ज्ञापन के माध्यम से प्रसारित की गई सिफारिशों पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत ने इस प्रकार भूमि मालिकों को देय मुआवजे की गणना के लिए उपरोक्त परिपत्र पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नहीं की। हालाँकि, उन्होंने उपरोक्त वृत्ताकार टुकड़ों को अपनाया और केवल टावर आधार क्षेत्र के लिए भूमि मूल्य के निर्धारण की सीमा तक। एडिशनल द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत ने कहा कि सिफारिशों को समग्र रूप से क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब उक्त समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचार किया गया था। पुरस्कार एडिशनल द्वारा पारित किया गया। सोनीपत के सत्र न्यायाधीश को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है, जिसके तहत भूमि मालिकों को पारेषण लाइन बिछाने और राज्य द्वारा उक्त भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कारण मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) गलियारे की चौड़ाई में भूमि मूल्य में कमी के लिए मुआवजे से वंचित कर दिया गया है, बशर्ते कि सर्कल दर/दिशानिर्देश मूल्य)/स्टाम्प अधिनियम दर के आधार पर निर्धारित भूमि मूल्य का अधिकतम 15 प्रतिशत हो। इसलिए, वी. आई. एन. ओ. डी. और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड की गणना और निर्धारण में एकरूपता लाने की दृष्टि से।

687

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(41) मेरा विचार है कि अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या अध्ययन उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर ऐसी किसी क्षति का अनुमान लगाया जा सके। मुआवजे का दावा करने से पहले दावेदार को नुकसान का पता लगाना आवश्यक है। हानि या क्षति का ऐसा कोई सुदूर अनुमान नहीं हो सकता है। इस तरह के किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य या निर्विवाद वैज्ञानिक शोध के अभाव में, इस तरह के प्रस्तुतिकरण को योग्यता से रहित माना जाता है और इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। आर. ओ. डब्ल्यू. गलियारे की चौड़ाई में भूमि के मूल्य को भूमि मूल्य के अधिकतम 15 प्रतिशत तक कम करने के लिए देय मुआवजे में अन्य सभी संबंधित अधिकारों और नुकसान की गणना की जाएगी। यह माना जाएगा कि सिफारिशों में इस तरह के मुआवजे की सिफारिश करते समय ऐसे सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है। भूमि मालिकों के पक्ष में सकारात्मक रूप से खड़े होने के बाद, टावर आधार क्षेत्र के साथ-साथ आरओडब्ल्यू कॉरिडोर के लिए भी भूमि के लिए मुआवजे की मांग करने का उनका अधिकार क्या है, अगले प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए वह है वह दर जिस पर मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। (42) जहां तक मुआवजे की दर से संबंधित मामले का संबंध है, याचिकाकर्ता की भूमि से लगभग 10 एकड़ की दूरी पर आस-पास के गांव में स्थित भूमि से संबंधित बिक्री उदाहरणों (अनुलग्नक पी-9, पी-11 और पी-12) पर निर्भरता रखी गई है। इसलिए, ये क्षेत्र में प्रचलित बाजार दरों को दर्शाते हैं। उक्त उदाहरण गाँव लिवासपुर से संबंधित हैं जबकि याचिकाकर्ताओं की भूमि गाँव राय में स्थित है, जो उक्त लिवासपुर से अधिक विकसित है और इसके अलावा गाँव लिवासपुर गाँव राय की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अधिक दूरी पर है और याचिकाकर्ताओं की भूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब है। बिक्री के ऐसे उदाहरण जिन पर याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त न्यायाधीश के समक्ष संदर्भ याचिका में भरोसा किया है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत को निम्नानुसार निकाला गया हैः

688

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

एक्सएच।

बिक्री विलेख की तिथि

भूमि का क्षेत्रफल कुल बिक्री

विचार करें।

दर प्रति एकड़

पी-11 21.07.2006 5 एकड़ 1 कनाल रु. 6,15,00,0

00/-

रु. 1,20,00,000/-

पी-12 10.04.2007 1 एकड़ 7के-2एम रु. 2,24,61,2

50/-

रु. 1,19,00,000/-

पी-9

09.12.2009

3 एकड़ 1के-10 मीटर

रु. 6,85,31,250/-

रु. 2,15,00,696/-

(44) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सर्कल दर/स्टाम्प अधिनियम दर के 85 प्रतिशत की दर से मुआवजे/नुकसान के निर्धारण के लिए मार्गदर्शक मूल्य भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त कलेक्टर दर को Ex.PW-2/A के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हालाँकि, जिला न्यायाधीश, सोनीपत ने ग्राम राय, तहसील और जिला सोनीपत के साथ-साथ अन्य गाँवों में स्थित सभी प्रकार की भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा पारित पुरस्कार No.16 दिनांक 15.03.2013 (Ex.P-15) को ध्यान में रखा है और तदनुसार, गाँव राय, तहसील और जिला सोनीपत की भूमि का कलेक्टर दर कृषि भूमि के लिए Rs.85 लाख प्रति एकड़ निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित मुआवजा टावर आधार क्षेत्र (चार चरणों के भीतर) के लिए उपरोक्त कलेक्टर दर का 85 प्रतिशत है जैसा कि नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। (45) जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि विचाराधीन भूमि याचिकाकर्ताओं की भूमि के निकट स्थित है और उपरोक्त भूमि का बाजार मूल्य जैसा कि बिक्री विलेखों में परिलक्षित होता है, पारेषण लाइनों के ड्राइंग के निकट दर्ज किया गया था, इसलिए उन्हें मुआवजे के निर्धारण के लिए एक मार्गदर्शक कारक के रूप में लिया जाना चाहिए था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि बिक्री विलेख (Ex.P9) को अधिक वाइन और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांस्मिशन लिमिटेड के क्षेत्र के लिए 19.12.2009 पर निष्पादित किया गया था।

689

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(46) मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से केस फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड को देखा है। (47) जहां तक संबंधित उत्तरदाताओं के लिए विद्वत वकील के इस आशय के प्रस्तुत करने का संबंध है कि भूमि का मूल्य <ID2,00,000/- प्रति एकड़ से कम है, मैं उपरोक्त दस्तावेज़ को भूमि के मूल्य के निर्धारण के लिए एकमात्र और अनन्य दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि उपरोक्त पुरस्कार आईडी1 पर पारित किया गया था और पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 (आई) (ए) के तहत बाजार मूल्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख को निर्धारित किया जाना था। इसलिए, भले ही पुरस्कार 15.03.2013 पर पारित किया गया हो, लेकिन यह मूल्य को दर्शाता है, जो कि 690 है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024 (1)

(48) टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 10 (डी) के प्रावधान मुआवजे के लिए एक भूमि मालिक की पात्रता को संदर्भित करते हैं और 15.10.2015 पर प्रसारित नुकसान के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा सर्कल दर/दिशानिर्देश मूल्य/स्टाम्प अधिनियम दर के आधार पर भूमि मूल्य का निर्धारण प्रदान करते हैं। एक बार जब उपरोक्त सिफारिशों को भूमि मूल्य के निर्धारण के लिए एक समान मार्गदर्शक मानदंड के रूप में दर्ज किया जाता है, तो इसका मूल्यांकन सर्कल दर पर ही किया जाना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान मामले में गाँव राय का वृत्त दर रुपये तय किया गया था। 15 करोड़ प्रति एकड़ और उक्त विशिष्ट अनुमान को भी उत्तरदाताओं द्वारा अपना जवाब दाखिल करते समय विवादित नहीं किया गया था, इस प्रकार उपरोक्त दिशानिर्देश के लिए अनुशंसित उपरोक्त मानदंड को वर्तमान मामले में भी अपनाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार बिक्री विलेख (Ex.P9) के बल पर व्युत्पन्न दर का पालन करना एक सुरक्षित मानदंड नहीं होगा, विशेष रूप से जब समिति द्वारा वृत्त दर की एक समान पद्धति की सिफारिश की गई है और विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा वितरित की गई है। इसलिए, भूमि मूल्य के 85 प्रतिशत की दर से एक मीनार आधार क्षेत्र (चार चरणों के भीतर) के लिए उपरोक्त भूमि मूल्य के अनुसार मुआवजे की गणना की जानी चाहिए। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित पुरस्कार को इस प्रकार टावर आधार क्षेत्र (चार चरणों के भीतर) के लिए भूमि मूल्य की उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है और भूमि का मूल्य Rs.85,00,000/- प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,50,00,000/- प्रति एकड़ कर दिया जाता है। (49) अगला सवाल जो इस प्रकार उत्पन्न होता है, वह आरओडब्ल्यू कॉरिडोर की चौड़ाई में भूमि के मूल्य में कमी के मुआवजे से संबंधित है। 15.10.2015 पर प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह सिफारिश विनॉड और अन्य बनाम कल्पतरु पावर ट्रांस्मिशन लिमिटेड को कम करने के लिए अधिकतम मुआवजे का प्रावधान कर सकती है।

691

और अन्य

( विनोद एस. भारद्वाज, जे.)

(52) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाएं-पारेषण लाइसेंसधारी ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी है। जिला न्यायाधीश, सोनीपत ने मुआवजे में कमी की मांग को तदनुसार खारिज कर दिया। रिपोर्टर-कमलजीत सिंह ढिल्लों